(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–I, खण्ड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं. 09/2024
नई दिल्ली, दिनांकः– 06 जून, 2024

विषयः प्रक्रिया पुस्तिका 2023 के एएनएफ–4च के तहत आवेदकों के लिए दिशानिर्देशों के पैरा 2(ख) में संशोधन।

समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तिका 2023 के एएनएफ–4च के तहत आवेदकों के लिए दिशानिर्देशों के पैरा 2(ख) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

एएनएफ–4च का उक्त पैरा 2(ख) निम्नानुसार संशोधित किया है:

(ख) मानित निर्यातों के लिए:

i. सिस्टम द्वारा जनरेट किए गए जीएसटी ई–बिलों और संबंधित ई–वे बिलों की प्रतियाँ (तथापि, जहाँ सिस्टम द्वारा जनरेट किए गए ई–बिल और संबंधित ई–वे बिल बताए गए कारणों से प्रदान नहीं किए जा सकते हैं, आपूर्तिकर्ता/प्राप्तकर्ता के जीएसटी प्राधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित ई बिल की प्रति प्रस्तुत की जा सकती है)।

ii. प्रक्रिया पुस्तिका के पैरा 4.30 के संदर्भ के अंतिम निर्यातक (अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक या डीएफआईए धारक) द्वारा निर्यात के लिए सीधे पत्तन पर मध्यवर्ती आपूर्तिकर्ता द्वारा उत्पाद की आपूर्ति के मामले में, घरेलू आपूर्तिकर्ता के नाम के साथ शिपिंग बिल की प्रति जैसा कि मध्यवर्ती आपूर्तिकर्ता ने अंतिम निर्यातक और मध्यवर्ती आपूर्तिकर्ता के फाइल सं/प्राधिकार पत्र सं. के साथ पृष्ठांकित किया है, प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

iii. ई–बीआरसी

iv. स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा तैयार और विधिवत प्रमाणित निर्यात दायित्व के निर्वहन के लिए निर्यात की गई वस्तुओं में की गई आपूर्ति/निर्यात और आयात तथा इनपुट्स के वास्तविक खपत का विवरण।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः मानित निर्यात के मामले में प्रक्रिया को सरल बनाने और ईओडीसी लागू करने के लिए अनुपालन बोझ को कम करने हेतु प्रक्रिया पुस्तिका 2023 के एएनएफ–4च के तहत आवेदकों के लिए दिशानिर्देशों के पैरा 2(ख) में संशोधन किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी
6.6.2024

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01/94/180/121/एएम 24/पीसी–4 से जारी)